अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं. T.L. 11/12 - बालादेवी V/s बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज RCMS. 2014/00091	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	04/07/2022 वकीलान फरीकैन उप/प्रपत्र का अवलोकन किया गया। नकाल खतौनी साल 2050-2053 कुचामन के ख.नं. 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1088 कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर के बीलीदेवी पत्नी धीरचन्द बाबा बाबू आहलाद पुत्र धीरचन्द बाबा प्रथम 7.20 हैक्टे. के रूप में गतिये बाबा.क्र. 571/29.6.96 के बीलीदेवी के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी हरीराम आहलाद पि-धीरचन्द वर्ग इन्हों प्रार्थीगण बीलीदेवी की प्रतिनिधि है जिनके नाम दर्ज होने है पेश रहा है। प्रकरण वादग्रस्त प्रति चेतक प्रति रही है, भविष्य में मौके पर पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं बढ़े तथा शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए पक्षकारान को पाबंद किया जाता है। प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दूरदर्शा मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः दिनांक 5.03.2012 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का फैसला वाद पर्यन्त की जाती है। पक्षकारान किसी प्रकार बेजा मूल वाद के विषय रहे। आदेश आज अदालत आम दिनांक 04/07/2022 को सुनाया गया (बाबूलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	